समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 138/चुनाव, दिनांक 30-03-2014 के द्वारा थानाध्यक्ष, आलमनगर के प्रतिवेदन जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा अग्रसारित है, के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी **श्री रविन्द्र कुमार सिंह पे0 स्व0 गुलाब प्रसाद सिंह, सा0 तिलकपुर, थाना आलमनगर जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति संख्या-01/1986(आलमनगर थाना)** जिस पर बन्दूक सं0-40075धारित है, को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव-2014 के मद्देनजर इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने हेतु आम सूचना जारी की गई थी। अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष, आलमनगर के संयुक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भौतिक सत्यापन कराए जानेवाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची में इनका नाम अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। इस तरह अनुज्ञप्तिधारी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। पर्याप्त अवसर दिए जाने के वावजूद भी शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाना, यह अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ अनुज्ञप्ति शर्त्त का उल्लंघन एवं मनमानेपन का द्योतक है।

अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के पत्रांक 166/निर्वा0, दिनांक 16-10-2005 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो चुकी है एवं इनका बन्दुक आलमनगर थाना मालखाना में जमा है। हलांकि इसकी सूचना अनुज्ञप्तिधारी के उत्तराधिकारी द्वारा कार्यालय को नहीं दी गई है, जिस कारण मृतक अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति को ससमय रद्द नहीं किया जा सका है।

अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17(3) एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए **श्री रविन्द्र कुमार सिंह पे0 स्व0 गुलाब प्रसाद सिंह सा0 तिलकपुर थाना आलमनगर जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-01/1986(आलमनगर थाना)**को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है एवं शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-21 के तहत अनुज्ञप्तिधारी के उत्तराधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे स्व0 सिंह के नाम से निर्गत **दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-01/1986(आलमनगर थाना) से संबंधित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त पत्र प्राप्ति** के 24 घंटे के अन्दर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

थानाध्यक्ष, आलमनगर को आदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से स्व0 सिंह के उत्तराधिकारी को तत्संबंधी आदेश की प्रति हस्तगत करायेंगे तथा बन्दूक सं0-40075 जो पूर्व में आलमनगर थाना मालखाना में जमा किया गया है, उसे सुरक्षित रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में बिना सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किए संबंधितों को हस्तगत नहीं करायेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 230 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 22-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, आलमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **श्री रविन्द्र कुमार सिंह पे0 स्व0 केदार नाथ सिंह सा0 बभनगामा थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा** (सम्प्रति मृत) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

22/4/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।